

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
SURVEY OF INDIA

दूरभाष सं० (0141) 2233159

फैक्स सं० (0141) 2236891

E-Mail-raj.gdc.soi@gov.in



संख्या सीएस- ३०२१ /५-एन  
सेवा में,

निदेशक का कार्यालय,  
राजस्थान मुः-स्थानिक डाटा केन्द्र,  
चौट आके भवन-१, सेक्टर-१०,  
विद्याधरनगर, जयपुर-३०२ ०३९  
OFFICE OF THE DIRECTOR  
RAJ, GEO-SPATIAL DATA CENTRE  
GREAT ARC BHAWAN-I, SECTOR-10,  
VIDYADHARNAGAR,  
JAIPUR-302 039

दिनांक ०९ June, 2014

**विषय:-** संविदा के आधार पर गार्ड रखने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संविदा के आधार पर रखे जाने वाले सुरक्षा गार्ड के संबंध में  
आवश्यक नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :-

- (1) निवादाएँ केवल रजिस्टर्ड फर्म की ही स्वीकार की जायेगी जो अपना पी.एफ. नम्बर, रजिस्ट्रेशन नम्बर, ई.एस.आई. नम्बर, सर्विस टैक्स नम्बर एवं पेन नम्बर इत्यादि के लिए प्रमाण स्वरूप दस्तावेज प्रस्तुत करें।
- (2) आपकी फर्म राज्य के संबंधित विभाग में The Private Security Agencies (Regulation) Act, 2005 of section 13 के अन्तर्गत लाईसेन्स शुदा होनी चाहिये। जिसकी प्रति संलग्न करनी होगी।
- (3) आपकी फर्म क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम, राजस्थान दूकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 1958, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सर्विस टैक्स इत्यादि कार्यालयों में पंजीकृत होनी चाहिये, जिसकी प्रति संलग्न करनी होगी।
- (4) आपकी फर्म द्वारा वर्तमान में कार्यरत सुरक्षा गार्डों हेतु समय-समय पर उपरोक्त कार्यालय में जमा की गई राशि का विवरण भी संलग्न करें।
- (5) संविदा के आधार पर गार्ड डयूटी हेतु आपके द्वारा मांगी गई नियत दर स्वीकृत होती है तो यह पूरे अनुबंध अवधि के लिए लागू होगी एवं मध्य में कोई दर नहीं बढ़ाई जायेगी।
- (6) इनका पी.एफ. ई.एस.आई. आदि कटौति का विवरण हर माह इस कार्यालय को बताना होगा।
- (7) गार्ड डयूटी हेतु ८ घण्टे की डयूटी होगी। कुल ९ गार्ड्स की आवश्यकता होगी जिनकी डयूटी प्रथम पारी प्रातः 08.00 बजे से सायं 16.00 बजे, द्वितीय पारी सायं 16.00 बजे से रात्रि 24.00 बजे एवं तृतीय पारी रात्रि 24.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक होगी। सभी की डयूटी रोस्टर के अनुसार बदलती शिपट में लगाई जायेगी। सुरक्षा गार्ड डयूटी पर तैनात गार्ड्स को धुम्रपान, बीड़ी, सिगरेट पीने की इजाजत नहीं होगी।

- (8) प्रत्येक गार्ड को सप्ताह में एक अवकाश दिया जायेगा जिसके लिए 9 गार्ड के अतिरिक्त अन्य किसी गार्ड को अवकाश के दिन नहीं लगाया जायेगा। इस कार्यालय में डयूटी वितरण इस प्रकार किया जायेगा कि इन्ही 9 गार्ड में से ही गार्ड डयूटी का समायोजन किया जायेगा ताकि प्रत्येक गार्ड को एक सप्ताह में अवकाश दिया जायेगा। डयूटी का वितरण का प्रशासनिक कार्य इस कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- (9) प्रत्येक दिन पृथक—पृथक पारी में पृथक—पृथक गार्ड द्वारा डयूटी देनी होगी एवं कोई भी गार्ड एक ही कार्य दिवस में छबल डयूटी नहीं देगा।
- (10) सप्ताह में एक अवकाश देने से Reliver charge/Weekly off का भुगतान इस कार्यालय द्वारा नहीं किया जायेगा।
- (11) एजेन्सी द्वारा जो गार्ड दे दिये जायेंगे वो इस कार्यालय के नियंत्रण में कार्य करेंगे एवं पूरी तरह से पर्यवेक्षण निदेशक, राजस्थान भू—स्थानिक आंकड़ा केन्द्र जयपुर का ही होगा।
- (12) सुरक्षा गार्ड के वेजेज का भुगतान प्रति माह के हिसाब (Monthly Basis) से किया जायेगा। इस कार्यालय के सुरक्षा अधिकारी द्वारा माह के दौरान सुरक्षा गार्डों द्वारा की गई गार्ड डयूटी की उपस्थिति रिपोर्ट को सत्यापित कर निदेशक, आर.जी. डी.सी. को प्रस्तुत की जायेगी, जिसे कार्यालय द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में सुरक्षा एजेन्सी को भेजी जायेगी। इसके आधार पर शीघ्र ही एजेन्सी बिल बनाकर इस कार्यालय को भुगतान हेतु प्रस्तुत करेगी, ताकि बिल का भुगतान प्रत्येक माह के 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से हो सके।
- (13) एजेन्सी द्वारा प्रशिक्षित/अनुभवी सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने होंगे उनकी शैक्षणिक योग्यता 10वीं उर्त्तीण होना चाहिये। आयु 01-01-2014 को 45 वर्ष से कम होनी चाहिये।
- (14) गार्ड डयूटी के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले सुरक्षा गार्डों के चरित्र सत्यापन एवं पुलिस वैरिफिकेशन की जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी। एवं इस संबंध में इस कार्यालय को गार्डों की तैनाती के पहले दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। यदि गार्ड द्वारा कोई अवाञ्छित कार्य किया जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेन्सी की होगी। इसके साथ तैनात गार्ड द्वारा कार्यालय की सुरक्षा नियमों व अनुशासन का कड़ाई से पालन किया जायेगा।
- (15) संबंधित एजेन्सी जिसके द्वारा सुरक्षा गार्डों का नियोजन किया जायेगा, उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि गार्ड नियोजन से संबंधित सभी श्रम कानून 1970 व नियमों में निहित सभी प्रावधानों का जैसे न्यूनतम वेजेज का भुगतान करना, ई.एस.आई., पी.एफ. आदि का अंशदान जमा करना आदि की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

( आर.के. जेना )  
अधीक्षक सर्वेक्षक  
कृते निदेशक, आर.जी.डी.सी. जयपुर।